



जनपद हमीरपुर

प्रेस नोट- थाना मौदहा

दिनांक 09.04.2026

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के संबंध में थाना मौदहा पर मु0अ0सं0 98/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को अवैध तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तारी के सम्बन्ध में -

घटना का विवरण -

थाना मौदहा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम अरतरा में कार्यक्रम के दौरान एक युवक द्वारा अवैध असलहे का प्रदर्शन करते हुये दिनांक 06.03.2026 को सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया गया था।

पुलिस कार्यवाही-

थाना मौदहा पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर तत्काल ग्राम अरतरा जाकर युवक की पहचान अतुल कुमार पुत्र अरिमर्दन (उम्र 34 करीब वर्ष) निवासी ग्राम अरतरा थाना मौदहा जनपद हमीरपुर के रूप में हुई एवं ग्राम अरतरा के रेलवे अण्डर पास सड़क से एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ उपरोक्त अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-98/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त को माननीय न्यायलय भेजा गया।



गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

अतुल कुमार पुत्र अरिमर्दन (उम्र 34 करीब वर्ष) निवासी ग्राम अरतरा थाना मौदहा जनपद हमीरपुर।

बरामदगी का विवरण:-

एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर व एक अदद अवैध जिन्दा कारतूस 315 बोर।

गिरफ्तारी का स्थान:-

ग्राम अरतरा रेलवे अण्डर पास सड़क से थाना मौदहा जनपद हमीरपुर।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम -

- 1.उ0नि0 मनोज मिश्रा थाना
- 2.उ0नि0 सत्येन्द्र पाण्डेय
- 3.का0 धर्मेन्द्र यादव